



फर्द अहकाम

नन्दलाल बनाम लब्बूराम वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या 170 / 2025 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

जीसीएमएस संख्या: 2025/454

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20.11.2025	<p>प्रार्थी की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री नरेश कुमार यादव के द्वारा मूल वाद दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी होकर पत्रावली दिनांक 08.12.2025 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़) </p>	
8 $\frac{12}{25}$		<p>चकुलायें फरीकेंन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 19.12.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">①</p>	
19 $\frac{12}{25}$		<p>पत्रावली पेश्ये जाकी ओ नोटिसकोई उपस्थित नही। न्यायालय लाफते के द्वारा बार-बार लावाज लगाते के बाद श्री याकी ओ नोटिसकोई उपस्थित नही आगे के कारण याकी ओ का खर्च र.र. अदम्य छपरी एवं अदम्य फेरकी में खर्च किया जात है पत्रावली केमल दुमरल केवल दर्ज नम्बर से कम है बाइ फायल सम्पूर हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़) </p>	